

मौलाना बनाम हनुमान गंधे

डा. नं. 212 आर. टो. एकद

14.10.19 आज यह डा. नं. द्वारा अन्तर्गत धारा 212
आर. टो. एकद का मकील द्वारा में अग्रार्थगिन के विरुद्ध
प्रस्तुत कर अग्रार्थगिन को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
से बाबन्द करने का निवेदन किया गया कि आराजी
विवादित हाल घ. सं. 1807/0.09 है. बाके ग्राम नीमला तह.
राजगढ में स्थित है जो जरिये रहन-बय आदि के दोगर जगह
सुन्तकिल न करें जबेरन द्वारा को बेधकल कर कब्जा न करें।
कार्य काश्त द्वारा में उसके हिस्सेगुतार रुकावट मजाहमत बैदा
न करें मौका व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथामत बनाये
रखें। साथ में शक्य नत्र पेश किया।

डा. नं. द्वारा शक्य नत्र व प्रस्तुत दस्तावेज वर
विश्वास करते हूये अग्रार्थगिन को जरिये अन्तरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा से दिनांक 19.11.19 तक बाबन्द किया जाता
है कि जो विवादित आराजी के द्वारा के हिस्से तक मौका
स्थिति यथामत बनाये रखें। साथ में तहसीलदार राजगढ से
मौका जांच रिपोर्ट तलब हो। अग्रार्थगिन जरिये नोटिस
तलब हो कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई एतराज हो तो दिनांक
19.11.19 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें दर्ज हों।

उम शण्ड अधिकारी, राजगढ

19/11/19

मौलाना बनाम हनुमान गंधे
हुकम दि. 10.12.16.18.24 व
तलब दि. 16/11/19 का प्रकृत दि.
19/11/19 का प्रकृत दि.
5.2.19

19/11/19

पीठासीन अधिकारी अदालतों में
वास है। पत्राचार दिनांक 19/11/19
को पेश हो।
19/11/19

19/11/19

मौलाना बनाम हनुमान गंधे
हुकम दि. 10.12.16.18.24 व
तलब दि. 16/11/19 का प्रकृत दि.
19/11/19 का प्रकृत दि.
5.2.19

तारीख
हुक्म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मोहन लाल | दनुमान

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

29/8/25

पत्रापत्ती पेशा। भूलपाद
अदम दाजिरी एवं अदम परवी
के तहत खारिज किया जा चुका
है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT
Act की कार्यवाही बंद की जाती
है। प्रकरण पत्रापत्ती नम्बर से
कम होकर भूलपाद के साथ रखना
है।


SDO